

- पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रदर्शनकीय दृष्टिकोण से सेक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
- 12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल
- जिला का भौगोलिक क्षेत्र।
 - जिला का वन क्षेत्र।
 - मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
 - 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
 (ख) वनेत्तर भूमि पर
- V तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
 (क) वन भूमि पर
 (ख) वनेत्तर भूमि पर
- 13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक.....

स्थान—रुद्रप्रयाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी
लखोला रम्य वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर

नाम (क्रिश्न चन्द्र)
सरकारी मोप्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

संलग्न

संलग्न है।

वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।

1984 वर्ग किमी०

1790.995 वर्ग किमी०

580.852hae. 145case.

227.29 ha e-

X

227.29 ha e.

X

प्रकरण रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
से सम्बन्धित है। अतः
जनहित में सिफारिश की
जाती है।

201
(क्रिश्न चन्द्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

परियोजना / स्कीम का स्थान

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....
जगपद रुद्रप्रयाग के विख्यो जखोली में
मुख्यमत्री धोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव
-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन
भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
ii)	जिला	रुद्रप्रयाग।
iii)	वन प्रभाग	रुद्रप्रयाग
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	1.4850 है
v)	वन की कानूनी स्थिति	0.7425 है सिविल सोयम भूमि 0.0000 है आरक्षित वन भूमि 1.9575 है नाप भूमि 0.001
vi)	हरियाली का घनत्व	सूची में संलग्न है।
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक०आर०एल० - ८ मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	2.00 किमी०
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	नहीं
x)	वया फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, वाघ रिजर्व, हाथी कारीडॉर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)	नहीं
xi)	वया क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती हैं यदि हाँ / तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	नहीं
xii)	वया कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक रथल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं।
8-	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र वया है।	प्रस्तावित मार्ग हेतु दो संरेखण उपलब्ध हैं।
9-	वया अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अधिधि, वापी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी घह रहे हैं।	लागू नहीं
10-	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा— i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्षेत्र वन क्षेत्र, आसा—	